



Office of the Executive Engineer, PD, PWD Didihat (Pithoragarh)
Phone & Fax- 05964-232124

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० डीडिहाट (पिथौरागढ़)



E-Mail- eepwdddt@rediffmail.com

पत्रांक 2119 / 3C

दिनांक 31/05/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तहसील मुनस्यारी में जोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.95 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून का पत्रांक 490/FP/UK/ROAD/47308/2020 दिनांक 20.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तहसील मुनस्यारी में जोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग ऑनलाईन प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/47308/2020 में इंगित कमियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र. सं.	इंगित कमियों का विवरण	कमियों का निराकरण
1	परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की पठनीय प्रति प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की पठनीय प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
2	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची संलग्न कर प्रेषित है।
3	वैकल्पिक एवं वर्तमान संरक्षण में प्रभावित वृक्षों का प्रजातिवार गणना कर पृथक-प्रथक सूची संलग्न करने का कष्ट करें।	वैकल्पिक एवं वर्तमान संरक्षण में प्रभावित वृक्षों का प्रजातिवार गणना कर पृथक-प्रथक सूची संलग्न कर प्रेषित है।
4	प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप 2.16 (बांज वृक्ष प्रभावित होने के प्रमाण पत्र) में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति/ हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।	प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
5	प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप 2.20 (राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण का हिस्सा होने अथवा न होने के प्रमाण पत्र) में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।	प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
6	प्रस्ताव में एन०पी०वी० की धनराशि वर्तमान दरों के अनुसार आंकलित कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	एन०पी०वी० की धनराशि वर्तमान दरों के अनुसार आंकलित कर संलग्न कर प्रेषित है।
7	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना वर्तमान दरों के अनुसार आंकलित कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना वर्तमान दरों के अनुसार आंकलित कर संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव में इंगित कमियों/सूचनाओं का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

31/05/2023
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० डीडिहाट

4/14

संख्या-2839/III(2)/16-42(एम0एल0ए0)/2016

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्याँकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विभिन्न 10 कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र 0, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिसकी कुल लम्बाई 63.00 किमी० + 06 सेतु तथा लागत ₹ 453.67 लाख है, पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 453.67 लाख (रु० चार करोड़ तिरेपन लाख सडसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् 10 कार्यों हेतु ₹ 01.00 लाख (₹ एक लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कंड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00 -24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में किया जायेगा।

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-658/XXVII/(2)/2016 दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
प्रभारी सचिव

संख्या- / 111(2)/16-42(एम0एल0ए0)/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पिथौरागढ़।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
8. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डीडीहाट/अस्कोट।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

संख्या-2039 / 111(2) / 16-42(एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 का संलग्नक।
(धनराशि लाख ₹ में)

क.सं	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत चौना-मटेना हरकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	4.00+ 1 Bridge	18.22	0.10
2	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत चौना से तल्ला भदेली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8.00	56.60	0.10
3	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत डुंगरी से समकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8.00+ 2 Bridge	37.28	0.10
4	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत जोशा से गांधी नगर मोटर मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में। (प्रथम चरण)	8.00	40.40	0.10
5	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत भारत-नेपाल के बीच काली नदी पर मोटर सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	140 mtr.	19.60	0.10
6	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत धारचूला में तोमिक से जनथारिया तोक तक पैदल मार्ग निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	29.50	0.10
7	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत ग्राम टांगा में मुन्यालपानी से बाता तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	86.00	0.10
8	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत ग्राम सभा गिनी में मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	72.50	0.10
9	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत मुनस्यारी ब्लॉक में तल्ला भण्डारीगांव में 10.00 मी० स्पांन पुलिया का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	10 mtr.	0.40	0.10
10	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट कौंडा से ग्राम डुंगातोली के तोक मल्ली लीसिया सुवाखानी एवं द्वालगांव होते हुए घट्टाबगड़ बरमं तक मोटर मार्ग एवं 01 सेतु का निर्माण। (प्रथम चरण)	20.00+ 1 Bridge	93.17	0.10
	कुल	63.00+ 06 bridge	453.67	01.00

(कुल ₹ एक लाख मात्र)

(ए०एस० पांगती)

उप सचिव

प्रारूप-2.15(A)

परियोजना का नाम:- जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8.00 किमी०)

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण
(स्वीकृत समरेखन)

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 04/01/2019 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यासवार विवरण।

क्र. सं.	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेंट / खरास संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग							
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60 से अधिक	योग
1.	वन पंचायत भूमि	मुनस्यारी	बांज	Quercus leucotricophora A. Cam. ex Bah.	-	1	-	2	-	-	-	3
			सत्तीस	Alnusnepalensis D.Don	-	4	6	4	4	-	-	18
			बुरांश	Rhododendron arboreum Sm	-	2	4	-	-	-	-	6
			चिरड़	Litsea Mamducia	-	5	10	6	-	-	-	21
2.	राज्य भूमि	मुनस्यारी	बांज	Quercus leucotricophora A. Cam. ex Bah.	-	5	4	4	-	-	-	13
			सत्तीस	Alnusnepalensis D.Don	-	6	5	7	2	-	-	20
			बुरांश	Rhododendron arboreum Sm	-	5	6	-	-	-	-	11
			चिरड़	Litsea Mamducia	-	6	19	20	-	-	-	45
योग :- वन भूमि					-	34	54	43	6	-	-	137
3.	नाप भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल योग :-					-	34	54	43	6	-	-	137

(हरिश सिंह)
प्रा.ख.लो.नि. विभाग
डीडीहाट

(डॉ. प्रहलद प्रताप वर्मा)
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा.ख.लो.नि. वि. वि.
डीडीहाट

(डॉ. जयशंकर प्रसाद)
सहायक अभियन्ता
प्रा.ख.लो.नि. वि. वि.
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

Dinesh
राजस्व सप-निरीक्षक
प्रा.ख.लो.नि. वि. वि.
जिला- पिथौरागढ़

(अशोक सिंह)
वन अधिकारी
मुनस्यारी

(शिवम सिंह)
सहायक अभियन्ता
मुनस्यारी (पिथौरागढ़)
(डॉ. विष्णु चंद्र)
अभियन्ता

(विनय कुमार)
सहायक वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

प्रारूप-2.15(B)

परियोजना का नाम:- जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8.00 किमी०)

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन
वन पंचायत भूमि

क्र०सं०	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर (घन मी० में)	कुल मूल्य (रु०)
1	बाँज (Quercus leucotricophora A. Cam. ex Bah.)	10-20	1	70.00	70.00
		30-40	2	585.00	1170.00
		कुल	3		1240.00
9	उत्तीस (Alnusnepalensis D.Don)	10-20	4	0.00	0.00
		20-30	6	230.00	1380.00
		30-40	4	600.00	2400.00
		40-50	4	1090.00	4360.00
		कुल	18		8140.00
2	बुरांश (Rhododendron arboreul Sm)	10-20	2	70.00	140.00
		20-30	4	320.00	1280.00
		कुल	6		1420.00
8	चिरड़ (Litcia Mamducia)	10-20	5	50.00	250.00
		20-30	10	150.00	1500.00
		30-40	6	390.00	2340.00
		कुल	21		4090.00
		महायोग	48		14890.00

(इशिका सिंह)
प्रा०ख०सौ०नि० विभाग
डीडीहाट

(ड० गडेन्द्र प्रताप वर्मा)
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा०ख०सौ०नि०वि०
डीडीहाट

(ड० गडेन्द्र प्रताप वर्मा)
सहायक अभियन्ता
श० ख० ला० नि० वि०
डीडीहाट (पथोरामुह)

(गोविन्द)
रजिस्टर उच्च-निरीक्षक
क्षेत्र...
जिला- पिथौरागढ़

(भगवान सिंह)
वन सहायिका
मुनस्यारी

प्रहरी सहायक
मुनस्यारी

(काला सिंह जोशी)
उपनिरीक्षक
मुनस्यारी (पिथौरागढ़)

(गोविन्द कुमार जोशी)
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

(विनय कुमार जोशी)
सहायक वन सहायिका
मुनस्यारी

प्रारूप-2.15(C)

परियोजना का नाम:- जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8.00 किमी०)

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन
राज्य भूमि

क्र०सं०	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर (घन मी० में)	कुल मूल्य (रु०)
1	बाँज (Quercus leucotricophora A. Cam. ex Bah.)	10-20	5	70.00	350.00
		20-30	4	320.00	1280.00
		30-40	4	585.00	2340.00
		कुल	13		3970.00
9	उत्तीस (Alnusnepalensis D.Don)	10-20	6	0.00	0.00
		20-30	5	230.00	1150.00
		30-40	7	600.00	4200.00
		40-50	2	1090.00	2180.00
		कुल	20		7530.00
2	बुरांश (Rhododendron arboreul Sm)	10-20	5	70.00	350.00
		20-30	6	320.00	1920.00
		कुल	11		2270.00
8	थिरड (Litcia Mamducia)	10-20	6	50.00	300.00
		20-30	19	150.00	2850.00
		30-40	20	390.00	7800.00
		कुल	45		10950.00
	महायोग		89		24720.00

(स्थायी)
अधीन
प्राञ्चलोत्तरीय विभाग
डीडीहाट

(इ. जे. प्रताप वर्मा)
19-9
कर्मचारी अभियन्ता
प्राञ्चलोत्तरीय विभाग
डीडीहाट

(इ. जे. प्रताप वर्मा)
स. स. नि. वि. वि.
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

(अधीन)
अविशासी अभियन्ता
प्राञ्चलोत्तरीय विभाग
डीडीहाट

20084
राजिस्टर सप-निरीक्षण
क्षेत्र... 8.00 तह...
जिला- पिथौरागढ़

(अधीन)
वन क्षत्राधिकारी
पिथौरागढ़

(अधीन)
अधीन अधिकारी
मुनस्यारी (पिथौरागढ़)
क. वि. प्र. उ. म. र. जोशी
पिथौरागढ़

(विनय कुमार भांडारी)
पिथौरागढ़

प्रारूप-2.15(E)

परियोजना का नाम:- जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8.00 किमी०)

प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश

क्र० सं०	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग								
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70 से अधिक	योग
1	वन पंचायत	-	12	20	12	04	-	-	-	48
2	राज्य भूमि	-	22	34	31	02	-	-	-	89
3	सरक्षित वन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	वन भूमि का योग	-	34	54	43	06	-	-	-	137
5	नाप भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	-	34	54	43	06	-	-	-	137

(हरीश सिंह)

(अधीन)

प्रा०ख०लो०नि० विभाग
डीडीहाट

(इ. अ. ए. प्रताप वर्मा)

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि० वि०
डीडीहाट

(इ. अ. ए. दत्त जोशी)

सहायक अभियन्ता
डा० ख० लो० नि० वि०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

(इ. ए. ए. वर्मा)

अधिसारी अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि० वि०
डीडीहाट

(अ. अ. ए. ए. ए.)

राजस्व उप-निरीक्षक
क्षेत्र... 54.02.140.012.116
जिला- पिथौरागढ़

(अ. अ. ए. ए. ए.)

वन धीर अधिकारी
मुनस्यारी

अधीनस्थ
मुनस्यारी

(अ. अ. ए. ए. ए.)
अधीनस्थ अधिकारी
मुनस्यारी (पिथौरागढ़)

(अ. अ. ए. ए. ए.)

जिला- पिथौरागढ़

(अ. अ. ए. ए. ए.)
अधीनस्थ अधिकारी
मुनस्यारी

प्रारूप-2.15(F)

परियोजना का नाम:- जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8.00 किमी०)

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

क्र.सं	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1.	आरक्षित वन भूमि	-	-	
2.	वन पंचायत	48	48	
3.	राज्य भूमि	89	89	
4.	संरक्षित वन	-	-	
	योग :- वन भूमि	137	137	
5.	नाप भूमि	-	-	
	कुल योग :-	137	137	

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 137 वृक्षों में से वास्तविक रूप से 137 वृक्षों का घातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह०/-
राजि अधिकारी

ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी

(डॉ. जयदेव प्रताप वर्मा)
कानून अधिकारिता
प्रो० ख० लो० नि० वि०
डीडीहाट

(डॉ. जयदेव प्रताप वर्मा)
सहायक वनाधिकारी
प्रो० ख० लो० नि० वि०
डीडीहाट (प्रियौरागढ़)

राजस्व उप-निरीक्षक
क्षेत्र...
जिला- पिथौरागढ़

(जयदेव प्रताप वर्मा)
वन अधिकारी
पिथौरागढ़

वनाधिकारी
पिथौरागढ़

(शिव प्रसाद जोशी)
निर्वाहक
पिथौरागढ़

(जयदेव प्रताप वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़

(अनिप्रथम कुमार जोशी)
विलीनिकारी
पिथौरागढ़

प्रारूप-2.15(G)

परियोजना का नाम:- जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8.00 किमी०)

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण
(वैकल्पिक समरेखन)

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 04/01/2019 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यासवार विवरण।

क्र सं	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेंट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग							
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60 से अधिक	योग
1.	वन पंचायत भूमि	मुनस्यारी	बांज	Quercus leucotricophora A. Cam. ex Bah.	-	3	1	3	-	-	-	7
			उत्तीस	Alnusnepalensis D.Don	-	8	5	3	3	-	-	19
			बुरांश	Rhododendron arboreul Sm	-	7	8	5	-	-	-	20
			चिरड़	Litcia Mamducia	-	4	3	5	-	-	-	12
2.	राज्य भूमि	मुनस्यारी	बांज	Quercus leucotricophora A. Cam. ex Bah.	-	3	7	8	-	-	-	18
			उत्तीस	Alnusnepalensis D.Don	-	6	8	4	2	-	-	20
			बुरांश	Rhododendron arboreul Sm	-	12	9	3	-	-	-	24
			चिरड़	Litcia Mamducia	-	15	18	27	-	-	-	60
	योग :- वन भूमि				-	58	59	58	5	-	-	180
3.	नाप भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग :-				-	58	59	58	5	-	-	180

(डॉ. अशोक प्रताप वर्मा)
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
डीडीहाट

(डॉ. गणेश स्त जोशी)
तहसील अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
डीडीहाट (दिसौरागढ़)

(डॉ. एमके वर्मा)
अधिसारी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
डीडीहाट

(डॉ. राजेश्वर उपाध्याय)
राजस्व उप-निरीक्षक
क्षेत्र...
जिला- पिथौरागढ़

(श्रीमान सिंह)
वन अधिकारी
मुनस्यारी

(श्रीमान सिंह जोशी)
उप-निरीक्षक
मुनस्यारी (पिथौरागढ़)

(श्रीमान कुमार)
मुनस्यारी
विभागाध्यक्ष
पिथौरागढ़

(श्रीमान कुमार)
मुनस्यारी
विभागाध्यक्ष
पिथौरागढ़

प्रारूप-2.16

परियोजना का नाम:- जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8.00 किमी०)

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 13/11/19 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बाँज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :-

क्र. सं.	भूमि की श्रेणी	वनब्लॉक / कम्पार्टमेंन्ट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग							
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60 से अधिक	योग
1.	वन पंचायत	मुनरयारी	बाँज	Quercus leucotricophora A. Cam. ex Bah.	-	01	02	-	-	-	-	03
2.	राज्य भूमि	मुनरयारी	बाँज	Quercus leucotricophora A. Cam. ex Bah.	-	05	04	04	-	-	-	09
4.	आरक्षित भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग :- वन भूमि	-	-	-	-	06	06	04	-	-	-	16
5.	नाप भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग :-			-	-	-	06	06	04	-	-	-	16

उपरोक्तानुसार गणना किये गये 16 बाँज वृक्षों में से 16 बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

(अशोक सिंह)
वन अधीक्षक
मुनरयारी

ह०/-
वन संरक्षक,

(विनय कुमार शर्मा)
वन अधीक्षक
जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग

प्रारूप-2.18

परियोजना का नाम:- जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8.00 किमी०)

न्यूनतम वृक्षों के घातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही घातन किया जायेगा।

(डॉ. महेंद्र प्रताप वर्मा)
 कनिष्ठ अभियन्ता
 प्रा०ख०, लो०नि०वि० डीडीहाट

(डॉ. जयेश कुमार जोशी)
 सहायक अभियन्ता,
 प्रा०ख०, लो०नि०वि०
 डीडीहाट

(डॉ. एके.वर्मा)
 अधिशासी अभियन्ता
 प्रा०ख०, लो०नि०वि०
 डीडीहाट

(डि.डी.सिंह)
 राजस्व उप-निरीक्षक
 क्षेत्र...
 जिला- पिथौरागढ़

(श्री. केशव सिंह)
 वन अधिशासी
 मुनस्यारी

प्रभागीय वनाधिकारी,
 वन प्रभाग, पिथौरागढ़

महसूलदार
 मुनस्यारी

(श्री. वि.के. जोशी)
 जिलाधिकारी
 मुनस्यारी, पिथौरागढ़

(श्री. वि.के. जोशी)
 जिलाधिकारी
 पिथौरागढ़

(श्री. वि.के. जोशी)
 जिलाधिकारी
 पिथौरागढ़

कार्यालय

'उत्तराखण्ड वन-सदैव आपके संग'

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आईटी एवं आधुनिकीकरण।

वन भवन, 85/87, राजपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
प्रा०ख०, लो०नि०वि० डीडीहाट।

विषय :- जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग का निर्माण हेतु दूरी प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक-2250/3सी, दिनांक 22.09.2022।


महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग हेतु चयनित स्थल की दी गई केएमएल फाइल के जीपीएस प्वाइंट (80°17'35.8"E, 30°1'55.8"N) से निकटतम हवाई दूरी निम्नवत आंकलित की गई है:-

क्र०सं०	वन्यजीव अभ्यारण्य/राष्ट्रीय पार्क/आरक्षित वन क्षेत्र	हवाई दूरी
1	उत्तराखण्ड के निकटतम संरक्षित क्षेत्र- अरकोट वन्यजीव अभ्यारण्य की निकटतम सीमा से	6.05 कि०मी०

उपरोक्तानुसार हवाई दूरी दी गयी केएमएल के अनुसार जी०आई०एस० तकनीकी से 1:50000 स्केल पर आधारित डिजिटाइज्ड मानचित्र से सन्निकट आंकलित की गयी है। जिसमें ± 0.5 कि०मी० का एरर सम्भव है।

A.E. (Munimiyar) / Amin


10/10/22

F.F.
D.M.
10/10/22

भवदीय,

Signed by Kahkashan
Naseem

Date: 10-10-2022 11:23:30

उप वन संरक्षक,
अनुश्रवण, मूल्यांकन, आईटी एवं आधुनिकीकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत तहसील मुनस्यारी में जोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.95 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव।

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत तहसील मुनस्यारी में जोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.95 हे० आवेदित वन क्षेत्र किसी भी राष्ट्रीय नेशनल पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है, एवं समीपस्थ अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य से मार्ग की हवाई दूरी 6.05 किमी० है। उक्त भूमि पर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस मार्ग के निर्माण से जोशा व गांधीनगर के 957 ग्रामीणों को यातायात की सुविधा प्राप्त होगी, तथा उपरोक्त परियोजना के निर्माण से सीमान्त दूरस्थ क्षेत्र में स्थित उक्त गांवों के कृषि पर आश्रित ग्रामीणों को अपने कृषि उत्पाद मुख्य बाजार मुनस्यारी एवं पिथौरागढ़ तक ले जाने की सुविधा प्राप्त होगी। गांवों में चिकित्सालय, विद्यालय खुलने के और नये अवसर मिलेंगे तथा गांवों का विकास होगा।

उक्त परियोजना से वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः उक्त कारणों से वनभूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।


प्रभागिय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़.


मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
प्रमुख उत्तराखण्ड (वन्य जीव)
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड

प्रारूप-2.37


परियोजना का नाम:- जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8.00 किमी०)

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी V
2. हरियाली का घनत्व 0.2
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे० 100,5210 =
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 4.950 हे०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि 49,75,790 = INR


वन अधीक्षक
मुख्यरी


प्रभारी वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

परियोजना विवरण	:- जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8.00 किमी०)
परियोजना हेतु हस्तांतरित कुल वन भूमि का क्षेत्र	:- 4.950 हे०
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल	:- 9.900 हे०
वृक्षारोपण स्थल का नाम	:- जोशा
प्रस्तावित किये जाने वाले पौधों की संख्या	:- 1100

प्रथम चरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (₹)	प्रति	धनराशि (₹)
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन	1.00	हे०	147.00	हे०	147.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान)	0.65	हे०	887.00	हे०	576.55
3	लेंटाना/काला बांसा/गाजर घास					
अ	लेंटाना काला बांसा/गाजर घास को जड़ से उखाड़ना	0.35	हे०	6608.68	हे०	2313.04
ब	लेंटाना काला बांसा/गाजर घास को क्षेत्र के बाहर नष्ट करना	0.35	हे०	2202.50	हे०	770.88
4	जल संरक्षण कार्य	1.00	हे०	11700.00	हे०	11700.00
5	कंटूर फर्रे खुदान (600 र०मी० प्रति हे०)	600.00	र०मी०	11.14	प्रति हे०	6684.00
6	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 100घन मी० प्र०हे०	100.00	घन मी०	478.00	प्रति घन मी०	47800.00
7	गड्डे खुदान (0.30X0.30X0.45)	1100.00	हे०	11.14	हे०	12254.00
8	निरीक्षण बटिया बनाना	1.00	हे०	737.00	हे०	737.00
9	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) (10 % अतिरिक्त)	1210.00	हे०	8.70	हे०	10527.00
10	रोपण क्षेत्र में प्रवेश हेतु दो तरफा सीढ़ी	1.00	संख्या	1006.00	प्रति सीढ़ी	1006.00
11	अन्यव्यय जैसे यंत्र, संयंत्र, औजार तेज करना व वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार गड्डे खोदना	1.00	हे०	470.00	हे०	470.00
	योग प्रथम चरण					94985.46

द्वितीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	गड्डे भरान का कार्य (0.30X0.30X0.45)	1100.00	गड्डे	1.75	गड्डे	1925.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष) कुल व्यय का 10 प्रतिशत अतिरिक्त	1210.00	पौध	1.75	पौध	2117.50
3	पौध ढुलान कार्य	1210.00	पौध	9.70	पौध	11737.00
4	पौधारोपण व थालबन्दी	1100.00	गड्डे	3.13	गड्डे	3443.00
5	कंटूर फर्रे में बीज बुवाई	600.00	र मी०	1.05	प्रति र०मी०	630.00
6	निराई गुडाई व मल्विंग (दो बार) (@1.15X2)	1100.00	गड्डे	2.30	गड्डे	2530.00
7	खाद व दवा पर व्यय	1100.00	हे०	0.32	हे०	352.00
8	प्रथम वर्ष में वृक्ष या रोपण की देखरेख व रखरखाव पर व्यय	1.00	हे०	7235.00	हे०	7235.00
9	कंटूर फर्रे खुदान कार्य जल संरक्षण हेतु	1000.00	र मी०	11.14	प्रति र०मी०	11140.00
10	1- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	1.00	हे०	350.00	हे०	350.00
	2- सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	1.00	हे०	225.00	हे०	225.00
	3- वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1.00	हे०	400.00	हे०	400.00

11	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध डुलान हेतु टोकरी, सुतली बोरी आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट कय वर्ष में 2-3 बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूटेशन आदि कार्य।	1.00	है०	700.00	है०	700.00
योग द्वितीय चरण						42784.50

तृतीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	है०	10852.00	है०	10852.00
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है०	1.00	है०	350.00	है०	350.00
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1.00	है०	225.00	है०	225.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1.00	है०	400.00	है०	400.00
3	कन्टूर फर्रे खुदान जल संरक्षण हेतु	1000.00	र०मी०	11.14	प्रति र०मी०	11140.00
4	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	35.00	घन मी०	299.00	प्रति घनमी०	10465.00
योग तृतीय चरण						33432.00

चतुर्थ चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	है०	10852.00	है०	10852.00
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है०	1.00	है०	350.00	है०	350.00
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1.00	है०	225.00	है०	225.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।	1.00	है०	400.00	है०	400.00
	वाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण	6.00	संख्या	4500.00	प्रति	27000.00
योग चतुर्थ चरण						38827.00

पंचम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	है०	10852.00	है०	10852.00
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है०	1.00	है०	350.00	है०	350.00
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1.00	है०	225.00	है०	225.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।	1.00	है०	400.00	है०	400.00
3	वाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण	6.00	संख्या	4500.00	प्रति	27000.00
योग पंचम चरण						38827.00

षष्ठम चरण						
1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	है०	10852.00	है०	10852.00
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1.00	है०	350.00	है०	350.00
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1.00	है०	225.00	है०	225.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।	1.00	है०	400.00	है०	400.00
3	वानस्पतिक चैक डेम निर्माण कार्य	5.00	संख्या	4500.00	प्रति	22500.00
4	कूली वालिंग मरम्मत कार्य	40.00	घन मी०	299.00	प्रति घनमी०	11960.00
	योग षष्ठम चरण					46287.00

सप्तम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	है०	10852.00	है०	10852.00
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1.00	है०	350.00	है०	350.00
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1.00	है०	225.00	है०	225.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।	1.00	है०	400.00	है०	400.00
3	वाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण	5.00	संख्या	4500.00	प्रति	22500.00
	योग सप्तम चरण					34327.00

अष्टम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	है०	10852.00	है०	10852.00
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1.00	है०	350.00	है०	350.00
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1.00	है०	225.00	है०	225.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।	1.00	है०	400.00	है०	400.00
3	कूली वालिंग मरम्मत कार्य	44.00	घन मी०	299.00	प्रति घनमी०	13156.00
	योग अष्टम चरण					24983.00

नवम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	है०	10852.00	है०	10852.00
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1.00	है०	350.00	है०	350.00
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1.00	है०	225.00	है०	225.00

2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।	1.00	है०	400.00	है०	400.00
कुली वालिंग मरम्मत कार्य	40.00	घन मी०	299.00	प्रति घनमी०	11960.00
योग नवम् चरण					23787.00

छशम् चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	है०	10852.00	है०	10852.00
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1.00	है०	350.00	है०	350.00
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1.00	है०	225.00	है०	225.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।	1.00	है०	400.00	है०	400.00
3	वाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण	4.00	सख्या	4500.00	प्रति	18000.00
	योग दशम चरण					29827.00
	कुल योग (प्रथम चरण से दशम चरण)				या	408066.96 408067.00

वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है० **408067.00**
 वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल **9.900 है०**
 वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु कुल धनराशि **(9.900 है० x 408068.00)** **4039863.30**
या 4039863.00

कनिष्ठ अभियन्ता
 पा०ख०ल०नि०वि०
 डीडीहाट

सहायक अभियन्ता
 डा० ए० लो० नि० वि०
 डीडीहाट (पिबोरावत)

परिचालनी अधिकारी
 ग्रामीण मजद
 कृषि निहांग विभाग
 रोकोदुम

अभिजात अधिकारी
 विभागाध्यक्ष
 विभागाध्यक्ष

अभिजात अधिकारी
 विभागाध्यक्ष
 विभागाध्यक्ष